खाता नं0 31 A,16000/ 0.26 5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

34945.00
NAL 8320.00
43265.00

	8320.00
	36.00
	2.50
	0.94
	8359.44

231 A

Case no 238/2000-01.

10.10.02

(1) लेख्यकारीगण:- पतरस खड़िया वो तिन्तुल खड़िया वो पास्कल खड़िया तीनों के पिता स्व0 लुकस खड़िया, जाति- खड़िया, पेशा- खेतीबारी, निवास ग्राम- गोतरा कुबीटोली, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

.. .. बिक्रेतागण

समर्थ-पत्र संख्या:- 163,164,165/2002

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु.

Rs. 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

(2) लेख्यधारीगण:- (1) श्रीमति कुम्भावती देवी पति श्री सुजन लोहरा (2) श्री हीरा लोहरा पिता श्री बिरसा लोहरा जाति लोहरा, पेशा- खेतीबारी, निवास ग्राम- ताबड़ा, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

.. भारतीय नागरिक .. क्रेतागण

समय-पत्र संख्या:- 166, 167 /2002

(3) लेख्यप्रकार:- विक्रय पत्र केवाला बैला कलामी पुत्र पुत्रादिक सदा सर्वदा दिन के लिए बिक्री होता है ।

(4) मूल्य:- मोटलिग चार लाख सोलह हजार रुपये अंके 4,16,000/- रुपये होता है ।

5000Rs.

(5) सम्पत्ति:- एराजियात अन्दर मौजा गोतरा, थाना- सिमडेगा, थाना नंम्बर 80, सदर रजिस्ट्री ऑफिस को जिला- सिमडेगा खाता नं0 9 (नौ) प्लॉट नं0 4743 (सैंतालिस सौ तैंतालिस) रकबा 26 डिसमिल (छब्बीस डिसमिल) टाँड़ दर्जा दो ।

जिसकी चौहद्दी:-

उत्तर:- प्लॉट नं0 4742 टाँड़,

दक्षिण:- इसी प्लॉट का अंश नीज क्रेता का टाँड़,

पूरब :- सिमाना, सलडेगा,

पश्चिम:- मेन रोड, सिमडेगा ।

जिसका मालगुजारी मोबलिग 10 पैसा (दस पैसा) अलावे सेस सलाना ।

बिक्रीत जमीन मौजा गोतरा के भुंडटोली (घोड़बहार) में स्थित है ।

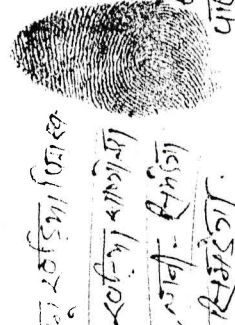

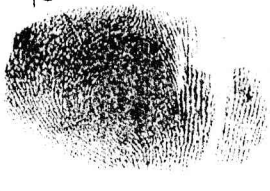

5000Rs.

(1) चूँकि हम लेख्यकारीगण को घर बनाने हेतु एवं अन्य जिम्मर घरेलू जरूरत के लिए रूपयों की जरूरत पड़ी जिसकी व्यवस्था जमीन बेचे बगैर सम्भव न हुई और तब हमलोगों ने लेख्यधारीगण से जमीन बेचने का प्रस्ताव किया जिसे उन्होंने खरीदना एवं रूपये देना स्वीकार किया ।

(2) इसलिए हमलोगों ने अपनी इच्छा से मन की स्वस्थता में रहकर उपर खाना संख्या पाँच में वर्णित जमीन को उपर्युक्त लेख्यधारीगण के हाथ नगद कीमत चुकता पाकर बेचा और बेची गई जमीन का कुल हक दखल एवं अधिकार उक्त लेख्यधारीगण को वो उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया । अब से बेची गई जमीन पर न हमलोगों का कोई हक सरोकार रहा न हमारे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का रहा और न रहेगा ।

5000Rs.

(3) हमलोग यह घोषणा करते हैं कि उक्त जमीन हमारी खतियानी जमीन है जो खतियानी रैयत उधो खड़िया वो पुतुल खड़िया पिता स्व0 सोहराई खड़िया के नाम से खतियान में नाम दर्ज है । उक्त जमीन हमें उत्तराधिकार से हासिल है जो हमारे हिस्से की अपनी जमीन है जिसपर हमारा निर्विवाद हक दखल वो कब्जा है और किसी प्रकार का बाद या झगड़ा झंझट नहीं है।

(4) चूँकि हम उभय पक्ष आदिवासी समुदाय के सुरक्षित रैयत हैं अतः जमीन खरीद बिक्री हेतु अनुमति के लिए उप समाहर्त्ता भूमि सुधार मोकाम सिमडेगा के कार्यालय में छोटानागपुरी काश्तकारी अधिनियम के तहत दफा 46 के अन्तर्गत आवेदन दिया जिसका वाद संख्या 238/2000-2001 है, जिसकी स्वीकृति मेमो नं0 921 (ii) दिनांक 5.10.2001 के द्वारा प्रदान की गई है ।

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु.

Rs.5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

(5) अब चाहिए कि लेख्यधारीगण अपनी जमीन पर काबिज वो दखलकार होकर अपना जैसा फायदा का समझें अपने उपयोग में लावें वो झारखण्ड सरकार वजरिये अंचल अधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय से अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर तारीख लेख्य से व अदाय मालगुजारी के रसीद खास नाम से हासिल करें ।

(6) इसलिए यह विक्रय पत्र केवाला सदा दिन के लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवे ।

5000Rs.

हमलोग घोषणा करते हैं कि बिक्रीत जमीन वो बचत जमीन सिलिंग एक्ट के अन्तर्गत नहीं आता है ।

सही/-

(लेखयकारीगण)

ह० सही
पतरस खड़िया

ह० सही
सिलुस खड़िया

ह० सही
पास्कल खड़िया

प्र. अरुण तिर्की
ता० 10.10.2002

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु.

Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रूपये FIVE THOUSAND RUPEES

हमलोग घोषणा करते हैं कि पूर्व में धारित जमीन वो खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन अधिकतम सीमा से अधिक नहीं है ।

सही/- कुसमावती देवी
10. 10. 2002

(लेख्यधारीगण) हीरा लोहरा
10. 10. 2002

लेख्यकारीगण के कहे अनुसार इस विक्रय-पत्र केवाला कलामी दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

सही/- [illegible]
[illegible] 30/97
(प्रारूपकर्त्ता)

तारीख:- 10/10/2002

1000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०००रु.

Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

--9--

प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय-पत्र दस्तावेज के कुल नौ पृष्ठों में 572 शब्द टंकित हैं और पृष्ठ संख्या 10 से 16 तक खाली है जो खण्डन रहित और नक्सा सहित है ।

टंकक

मो० मकसूद
10-10-02

मो0 मकसूद
कचहरी परिसर,
सिमडेगा ।

प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र के मूल दस्तावेज द्वितीयक प्रति के साथ हुबहु एवं सच्ची प्रतिलिपि है ।

सही/-

ह० सही
पतरस खड़िया

ह० सही
पास्कल खड़िया

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१००० रु.

Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

--10--

INDIA

एक रुपया

एक रुपया

सत्यमेव जयते

ONE RUPEE भारत ONE RUPEE

सच्ची प्रतिलिपि

नं० - 532/98

[signature]

जिला अवर निबंधक पदाधिकारी,
28.11.2002
सिमडेगा.

4

(1) लेख्यकारी:- श्री बाबु सरडिया पिता का नाम स्व० मोहन सरडिया जाति खड़िया पेशा खेतीबारी निवास गांव गोवरा थाना सिमडेगा जिला गुमला स० प० सं० 222/98

(2) लेख्यधारी:- श्रीमती कुसमावती देवी पति श्री सुगन लोहरा एवं श्री हीरा लोहरा पिता का नाम श्री बिरसा लोहरा जाति लोहरा पेशा खेतीबारी निवास गांव लामडा थाना सिमडेगा जिला गुमला स० प० सं० 223/98 एवं 224/98.

(3) लेख्य स्वरूप:- विक्रयपत्र कैवला लेकर वारसानी पुत्र-पुत्रादि सदा दिनों के लिये।

(4) मूल्य:- 50500/- रु० पचास हजार पांच सौ रुपये केवल है।

(5) सम्पत्ति:- खरीदगी [illegible] 28 डिसमील जमीन बाके मौजा गोवरा थाना सिमडेगा थाना नं० 80 [illegible] सिमडेगा [illegible] खाता नं० 9 (नौ) प्लाट नं० 4743 (चार हजार सात सौ तैंतालीस) रकबा 54 डी० में से 28 डी० जमीन [illegible] उत्तर [illegible] दक्षिण रोड सिमडेगा [illegible] पूरब रोड सिमडेगा [illegible] पश्चिम पी० 3002 डी० का जमीन, [illegible] रकबा 28 डिसमील [illegible] 10 पैसे [illegible]।

(6) चूंकि लेख्यकारी को घर बनाने के लिए रुपयों की अति आवश्यकता है और रुपया मिलने का उपाय सिवाय जमीन बेचने के नहीं है अतः लेख्यकारी

24

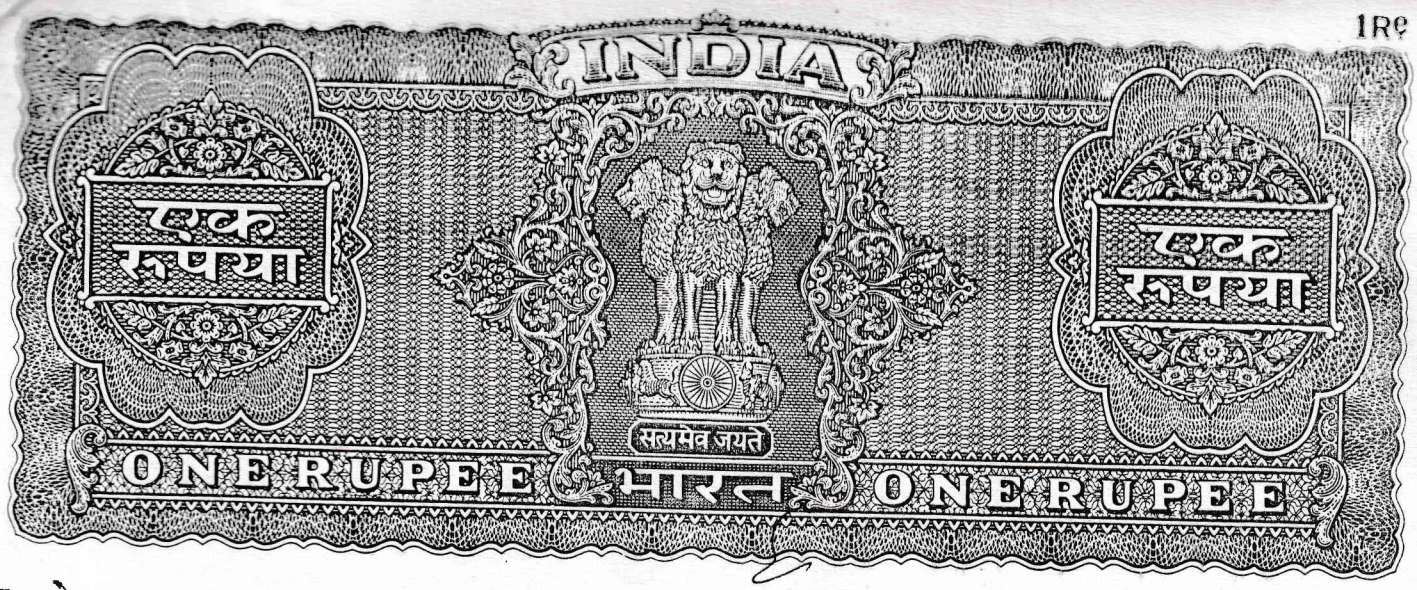

INDIA

एक रुपया

सत्यमेव जयते

ONE RUPEE भारत ONE RUPEE

+ लेख्यधारी से जमीन खरीदने की प्रार्थना की जिसे लेख्यधारी ने अपना स्वीकार किया। चूंकि लेख्यकारी व लेख्यधारी आदिवासी हैं अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत उपरोक्त जमीन बेचने हेतु 46 सी० एन० टी० एक्ट का आवेदन किया जिसका मुकदमा संख्या 14/96-97 है। उक्त आवेदन की स्वीकृति अपर समाहर्ता के मेमो नं० 948(ii) दिनांक 7.12.98 के द्वारा प्राप्त हुआ। —
(2) इसलिए मैं अपनी इच्छा और मन की स्वेच्छा से रहकर ऊपर खाता संख्या 2 में ~~वर्णित~~ जमीन उपर्युक्त लेख्यधारी के साथ रु० 50500/- रुपया नगद चुकता पाकर बेचा और बेची गई जमीन का कुल हक एवं अधिकार उपर्युक्त लेख्यधारी को उनके उत्तराधिकारी के नाम सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया। अब इस विक्रीत जमीन पर मेरा और मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक व अधिकार न रहा और न रहेगा (3) मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि विक्रीत जमीन मेरी रैयती जमीन है जो हाल खतियान को [illegible] खतियान [illegible] के नाम से अभिलेख में दर्ज है जो मेरे दादा थे। आपसी बंटवारे के बाद विक्रीत जमीन पर मेरा निर्विवाद शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। उक्त जमीन पर किसी प्रकार का झगड़ा या झंझट नहीं है (4) अब चाहिए कि लेख्यधारी उक्त जमीन पर दखलकार होकर जमाबार विवरण रखकर सरकारी अंचल अधिकारी [illegible] के कार्यालय से अपने नाम दाखिलखारिज करा कर मालगुजारी अदा कर अपना नाम से रसीद लिया करें। जमीन का [illegible] नहीं अभी इस्तेमाल प्रयोग में लाई विक्रीत जमीन मौजा [illegible] की [illegible] है (5) इसलिए यह विक्रयनामा [illegible] लिख दिया कि समय पर काम आवे प्रमाण रहे। सही बाबू [illegible] दिनांक 21.12.98 ई० को [illegible] लेख्यकारी व लेख्यधारी तथा गवाहान को पढ़कर सुना व समझा दिया [illegible] उन्होंने अपना अपना सही [illegible] किया [illegible] दिनांक 21.12.98 [illegible] अनु० सं० 30/97 [illegible] के कुल 5 (पांच) पन्नों में कुल 438 शब्द [illegible] हैं एवं कोई खण्डन या अशुद्धि नहीं है। [illegible] मैं ~~घोषणा~~ करता हूं कि विक्रीत जमीन सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत नहीं आता है। [illegible] 21.12.98 —

INDIA

एक रुपया

सत्यमेव जयते

ONE RUPEE भारत ONE RUPEE

[illegible] सिमडेगा [illegible] 21-12-98 [illegible]

[illegible] 21.12.98 [illegible] 21.12.98 [illegible] सिमडेगा [illegible] 21.12.98 [illegible] 21.12.98 [illegible] 21.12.98 [illegible] 21.12.98 [illegible] सिमडेगा [illegible] 21.12.98 [illegible] 21.12.98 [illegible] 21.12.98 [illegible] सिमडेगा [illegible] 21.12.98 [illegible] 21.12.98 [illegible]

000550/98 191/15.12.98 (34 कोषागार कार्यालय दिनांक 15-12-98 सिमडेगा) [illegible] 15-12-98 34 कोषागार पदाधिकारी सिमडेगा [illegible] 8500/- [illegible] 5000x1 - 5000.00, +1000x3 - 3000.00, 500x1 - 500.00 कुल 8500.00 Sd/ B. Bhagat 15.12.98 34 कोषागार [illegible] सिमडेगा 34 कोषागार (000548/98) 191.15.12.98 (34 कोषागार कार्यालय दिनांक 15.12.98 सिमडेगा) [illegible] 15/12/98 34 कोषागार पदाधिकारी सिमडेगा [illegible] Sd/ B. Bhagat 15.12.98 34 कोषागार [illegible] सिमडेगा 34 कोषागार (000550/98) 191/15.12.98 (34 कोषागार कार्यालय दिनांक 15.12.98 सिमडेगा) [illegible] 15-12-98 34 कोषागार पदाधिकारी सिमडेगा [illegible]

INDIA

एक रुपया | सत्यमेव जयते | एक रुपया

ONE RUPEE भारत ONE RUPEE

कुरुमावली देवी SD/- B. Bhagat 15-12-98 उप कोषागार-अधिकारी सिमडेगा उप कोषागार-(000551/98) 191-15-12-98 (उप कोषागार कार्यालय दिनांक 15-12-98 सिमडेगा) ह० अस्पष्ट 15-12-98 उप कोषागार पदाधिकारी सिमडेगा (000368/98) 191/-15-12-98 (उप कोषागार कार्यालय दिनांक 15-12-98 सिमडेगा) ह०/अस्पष्ट 15-12-98 उप कोषागार पदाधिकारी सिमडेगा श्रीमती कुरुमावली देवी पति बकराम SD/- B. Bhagat 15-12-98 उप कोषागार अधिकारी सिमडेगा उप कोषागार

न० - 532/98

Stamp Rs: 5000·00 + 1000·00 + 1000·00 + 1000·00 + 500·00 = 8,500/-

7490·00
1010·00
8500

N A e.

231 A. एवं निबंधन नियमावली 1922 की धारा 162 (ii) एवं आदेश सं- 19019697 दि० 7-12-98 द्वारा कुल अभिलेखों सिमडेगा

SD/ A. Minz 21-12-98

फी (1) 2040·00
ई (1) 45·00
2085·00
प्रतिलिपि 2·80
लेखक 0·64
3·44
2088·44

21-12-98 10 बजे

बानु खड़िया
2-40 फोदल खड़िया
गोबरा थाना सिमडेगा
साक्षी

(के० वि०)
श्री बानु खड़िया व० करिका नाम को हमारी परिचय नाम को मेरे समक्ष दिया गया ता० 21-12-98

SD/ A. Minz 21-12-98

उपस्थित- बाबु रबिन्द्रा नं - [illegible] की [illegible]

स्वीकार किया जिनकी पहचान- पहरदार ओरांग पिता

स्व॰ बुधुआ ओरांग [illegible] पेशा खेती ने की

ह॰/ A. Murmu
21.12.98
नि.प.

क्र॰ 189
दि॰ 4/98

रजी॰ बाबु रबिन्द्रा व॰ [illegible]
ता॰ 21.12.98

क्र॰ 190
दि॰ 4/98

ह॰ नि॰ पहरदार ओरांग व॰ [illegible]
सो॰ रजी॰ [illegible] [illegible]
ने [illegible] [illegible] दिया ता॰ 21.12.98

प्रतिलिपि [illegible]
[illegible]
28.11.2000
लिपिक

[illegible]
[illegible]
28.11.2000
लिपिक

28.11.2000
नि.प.

[illegible]
[illegible]